फाइल सं0 9(3) 2017/19वीं सीएसी/एफ.एस.एस.ए.आई

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

विनियमात्मक अनुपालन प्रभाग

एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली - 110002

दिनांक 16 मई, 2017 को आयोजित केंद्रीय सलाहकार समिति की 19वीं बैठक का कार्यवृत्त

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की केंद्रीय सलाहकार समिति की 19वीं बैठक दिनांक 16 मई, 2017 को होटल ललित, नई दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक के सहभागियों की सूची **अनुबंध-1** पर दी गई है।

2. बैठक का प्रारंभ केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के स्वागत के साथ हुआ। कार्रवाई कार्यसूची के अनुसार हुई।

मद सं0 1: हित का प्रकटीकरण

सदस्यों ने हित का प्रकटीकरण प्रपत्र भर कर प्रस्तुत किया।

मद सं0 2: सीएसी की 18वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

सीएसी की 18वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन और अंगीकरण किया गया।

मद सं0 3: की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

1. दिनांक 29.09.2016 को आयोजित सीएसी की 18वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट नोट की गई।
2. केरल ने स्पाइसेज और कंडीमेंट्स पर अपना एसओपी प्रस्तुत किया और यह भी रिपोर्ट दी कि उन्होंने आपरेशन 'सागर रानी' पर एक वृत्त चित्र तैयार किया है। आपरेशन सागर रानी हानिकारक परिरक्षियों वाली मछली के विरुद्ध राज्य की पहल है। उत्तर प्रदेश ने भी दूध और दुग्ध उत्पादों पर अपना एसओपी प्रस्तुत किया। तमिल नाडु फलों और सब्जियों पर अपना एसओपी 10 दिनों के अंदर प्रस्तुत करेगा।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा कराए गए राष्ट्रीय दुग्ध सर्वेक्षण, 2016 के परिणामों में कमियों/विसंगियों पर चिंता जताई। सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को इन परिणामों की पुष्टि करने को कहा गया और सुझाव दिया गया कि सर्वे तथा संबंधित प्रवर्तन गतिविधियाँ, यदि आवश्यक हों, पुन: की जाएँ, जिससे वैधीकृत परिणाम पब्लिक डोमेन पर डाले जा सकें। आगे, अध्यक्ष महोदय ने दुग्ध सर्वेक्षण के लिए एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-मैट मशीनों के उपयोग के बारे में जानना चाहा और ऐसे सर्वेक्षणों में उनके उपयोग

पर बल दिया। कुछ राज्यों ने ई-मैट मशीन लगाने में कठिनाई बताई। इस संबंध में उन्हें सलाहकार (क्यूए), एफ.एस.एस.ए.आई से संपर्क करने को कहा गया।

निर्णीत कार्रवाई

i. तमिल नाडु फलों और सब्जियों पर अपना एसओपी प्रस्तुत करे।

ii. सर्वे के परिणाम एफ.एस.एस.ए.आई की वेबसाइट पर डालने से पहले राज्य सर्वेक्षण के परिणामों की पुष्टि करें।

मद सं0 19.1: एफ.एस.एस.ए.आई की मुख्य गतिविधियाँ

1. नए मानक और विनियम

सलाहकार (मानक) ने सीएसी की पिछली बैठक के बाद मानकों और विनियमों के नवीनतम अपडेटों के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया। सीएसी के सदस्यों ने हाल के अपडेटों को नोट किया।

2. जोखिम आधारित निरीक्षण माड्यूल

पारदर्शिता बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि दुर्लभ सरकारी संसाधनों का ध्यान उन उतपादों और कारोबारों की ओर जाए जिनके मामले में जोखिम अधिक हैं, निदेशक (आरसीडी) ने **जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली (आरबीआईएस)** के प्रस्तावित माड्यूल के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया। सीएसी के सदस्यों ने इसकी मुख्य बातों को नोट किया।

निर्णीत कार्रवाई

i. राज्य/संघ शासित क्षेत्र उपर्युक्त प्रणाली के बारे में अपना फीडबैक/सुझाव 10 दिनों के अंदर दें, जिससे इसे लागू करने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा आगे के निर्देश दिए जा सकें।

ii. मध्य प्रदेश और केरल राज्यों ने इस प्रणाली का अपने यहाँ परीक्षण करने की इच्छा जताई।

3. भारत के लिए खाद्य सुरक्षा आपात कार्रवाई योजना

मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक खाद्य सुरक्षा संबंधी घटनाओं के समय उन पर प्रभावी रूप से और दक्षतापूर्ण कार्रवाई करने के लिए सलाहाकार (कोडेक्स) ने **भारत के लिए खाद्य सुरक्षा आपात कार्रवाई की प्रस्तावित योजना** पर प्रस्तुतीकरण दिया। सीएसी के सदस्यों ने इसकी मुख्य बातों को नोट किया।

निर्णीत कार्रवाई

संबंधित राज्यों में खाद्य सुरक्षा आपात कार्रवाई योजना के क्रियान्वयन के लिए तेलंगाना और मध्य प्रदेश एसओपी तैयार करें।

मद सं0 19.2.1: लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रक्रिया का सरलीकरण

क) लाइसंसिंग/पंजीकरण आवेदन का सरलीकरण और एफएलआरएस में प्रस्तावित परिवर्तन

कारोबार में सरलता लाने के प्रयोजन से निदेशक (आरसीडी) ने लाइसेंसिंग/पंजीकरण आवेदन

प्रक्रिया के प्रस्तावित सरल प्रपत्रों के बारे में बताया। सीएसी के सदस्यों ने इसकी मुख्य बातों को नोट किया।

निर्णीत कार्रवाई

i. राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रस्तावित परिवर्तनों के बारे में अपना फीडबैक/सुझाव दस दिनों के अंदर दें।

ख) लाइसेंस शुल्क देने के बारे में चर्चा

सीआईटीओ, एफ.एस.एस.ए.आई ने केंद्रीय लाइसेंस के लिए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के वर्तमान तरीकों और दो अन्य पेमेंट गेटवे जोड़ने के बारे में बताया, जिनसे सभी प्रमुख बैंक, मास्टर और विजा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड कवर हो जाएँगे। सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कहा गया कि वे इन पेमेंट गेटव को अपनाकर ट्रेजरी चालान के माध्यम से भुगतान करने की जगह ऑनलाइन भुगतान प्रणाली अपनाएँ। यह सलाह दी गई कि राज्य/संघ शासित क्षेत्र अपने वित्त विभाग से परामर्श लें और यदि कोई स्पष्टीकरण हो तो आवश्यकता होने पर वीडियो कांफ्रेंसिंग भी की जा सकती है।

आगे, खाद्य सुरक्षा आयुक्त और सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), पश्चिमी बंगाल ने एफएलआरएस में मोबाइल फोन से सत्यापन का कोई प्रावधान न होने के बारे में बताया और मोबाइल ओटीपी का सत्यापन आरंभ करने का अनुरोध किया। राज्य को पूरा प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया।

निर्णीत कार्रवाई

i. सीआईटीओ (एफ.एस.एस.ए.आई) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को प्रणाली के साथ वर्तमान में जुड़े बैंकों की सूची के साथ व्याख्यात्मक नोट भेजें।

ii. राज्य/संघ शासित क्षेत्र उस बैंक का विवरण दस दिनों के अंदर भेजें जिसके साथ वे जुड़ना चाहते हैं।

मद सं0 19.2.2: प्रवर्तन पर चर्चा

क) राज्य और जिला स्तरीय संचालन समिति का गठन और उसकी भूमिका

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एफ.एस.एस.ए.आई) ने राज्य और जिला स्तरीय संचालन समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने पर बल दिया जिनमें राज्य/संघ शासित क्षेत्र

एफ.एस.एस.ए.आई के प्रतिनिधि को भी विशेष आमंत्रिति के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं।

ख) प्रवर्तन गतिविधियाँ

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एफ.एस.एस.ए.आई) ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रवर्तन गतिविधियों की धीमी गति पर चिंता जताई और वार्षिक रिपोर्ट शीघ्र तैयार करने और भेजने की आवश्यकता पर बल दिया, क्योंकि ये रिपोर्टें इकट्ठी करके संसद को भेजी जाती हैं। समिति ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अग्रेषित शिकायतों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त न होने के तथ्य को नोट किया और उन्हें भेजने का निर्देश दिया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एफ.एस.एस.ए.आई) ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अपीली ट्रिब्यूनल और विशेष न्यायालय स्थापित करने की महत्ता बताई और बताया कि उपर्युक्त मामलों को एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ सावधिक वीडियो कंफ्रेंसिंग के सत्रों के दौरान अधिक प्रभावी और सुव्यस्थित ढंग से उठाया जाएगा।

उन्होंने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आईईसी गतिविधि और जागरूकता उत्पन्न करने के कार्य करने के बारे में भी स्मरण कराया और यह भी कहा कि वे अपनी सरकारों को कहें कि वे प्राप्त की गई लाइसेंस फीस में से कम से 75% फीस इन आईईसी गतिविधियों पर खर्च करें - (i) आईईसी गतिविधि - स्थानीय भाषा में विज्ञापन, एफएम पर जिंगल, (ii) 24x7 खाद्य सुरक्षा हेल्पलाइन, और (iii) खाद्य सुरक्षा के लिए स्थानीय भाषा में वेब पेज का सृजन।

आगे, उन्होंने प्रवर्तन के लिए सर्वेक्षण करने और अधिनियम के क्रियान्वन के मुद्दे भी उठाए जब उन्होंने सिफारिश की कि यह विनियम बनाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा 4-5 खाद्य सुरक्षा आयुक्तों की एक समिति गठित की जाए।

उन्होंने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में लंबित शिकायतों की स्थिति के बारे में जाना। नोट किया गया कि विभिन्न राज्यों में अभी भी बहुत बड़ी संख्या में शिकायतें लंबित हैं, यथा दिल्ली (107), कर्नाटक (53)। उन्हों राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सलाह दी कि वे इन शिकायतों की समीक्षा हर सप्ताह करें। निर्णय किया गया कि दिल्ली इन शिकायतों का निपटारा करने की योजना बनाकर उसे एफ.एस.एस.ए.आई को भेजे।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त, तमिल नाडु ने समिति को राज्य में व्हट्सएप के नए नंबर के माध्यम से शिकायतों का निपटारा करने की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया। आगे, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, मध्य प्रदेश ने कहा कि शिकायतों के निपटान में राज्य और केंद्र स्तर पर दोहरा काम होने का वर्णन किया और एफ.एस.एस.ए.आई को इस मुद्दे को हल करने को कहा। समिति ने इस

अनुरोध पर सहमति व्यक्त की और सीआईटीओ को कहा कि वे केंद्र और राज्य प्राधिकारियों के मध्य इंटरफेस के लिए डैशबोर्ड का सृजन करें।

राज्यों/संघ शासति क्षेत्रों और एफ.एस.एस.ए.आई के बीच संवाद में कमी को कम करने और प्रवर्तन गतिविधियों में सहायता करने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई के प्रवर्तन प्रभाग के प्रत्येक अधिकारी को उसे सौंपे राज्य के साथ पत्र-व्यवहार के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित करने का निर्णय लिया गया। संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को इन अधिकारियों के संपर्क विवरण भी उपलब्ध कराए जाएँगे।

अभिनामित अधिकारी, चंडीगढ़ ने इथाइलीन के सैशे और स्प्रे से फलों (पपीते और आम) की कृत्रिम पकाई के मुद्दे को उठाया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पकाई के इन कृत्रिम अभिकर्मकों का उपयोग बाजार में बहुतायत में किया जा रहा है और किसान इनके उपयोग की सीमा से परिचित नहीं हैं। खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गोआ ने भी बताया कि पौधे की वृद्धि के लिए प्रयुक्त ईथाफोन भी बाजार में आसानी से मिल जाता है और इसका उपयोग किसानों द्वारा बहुत अधिक मात्रा में किया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के परामर्श से फलों और सब्जियों की पकाई में रसायनों के उपयोग पर एसओपी बनाने का निर्णय लिया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एफ.एस.एस.ए.आई) ने सुझाव दिया कि राज्यों के लिए खाद्य सुरक्षा सूचकांक बनाने का प्रस्ताव एफ.एस.एस.ए.आई के विचाराधीन है। सभी खाद्य सुरक्षा आयुक्तों ने इस विचार की सराहना की और इसमें अपना पूरा सहयोग देने की इच्छा प्रकट की।

निर्णीत कार्रवाई

i. खाद्य सुरक्षा आयुक्त शिकायतों की समीक्षा हर सप्ताह करें और उनकी स्थिति तथा उन पर की गई कार्रवाई की सूचना एफ.एस.एस.ए.आई को दें।

ii. अधिनियम के प्रवर्तन और प्रशासन के लिए सर्वे करने के लिए विनियम बनाने के लिए समिति का गठन।

iii. प्रभावी संवाद के लिए आरसीडी के तकनीकी अधिकारियों के संपर्क विवरण खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को उपलबध कराए जाएँ।

iv. एफ.एस.एस.ए.आई की एक आंतरिक समिति राज्यों का खाद्य सुरक्षा सूचकांक (एक रेटिंग प्रणाली) बनाए।

v. आईटी प्रभाग मध्य प्रदेश की मौजूदा शिकायत निपटान प्रणाली को एफ.एस.एस.ए.आई की प्रणाली से एकीकृत करने के लिए उनके साथ विचार-विमर्श करे।

मद सं0 19.2.3: दिशा-निर्देश

निदेशक, आरसीडी ने नवीनतम ई-कॉमर्स दिशा-निर्देशों, मध्याह्न भोजन प्रलेख और एफएसओ मैनुअल के बारे में जानकारी दी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अपने यहाँ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पर बल दिया।

निर्णीत कार्रवाई

i. राज्य/संघ शासित क्षेत्र उक्त दिशा-निर्देशों पर अपने मुद्दे/सुझाव/सम्मतियाँ दस दिनों के अंदर दें।

मद सं0 19.2.4

क) **वाटर पोर्टल**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई ने सुरक्षित पैकेजबंद पेय जल के संबंध में उपभोक्ताओं का विश्वास बनाने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई की नई पहल ''वाटर पोर्टल'' के बारे में सूचित किया। सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को खाद्य कारोबारियों को अपने डैटा पोर्टल पर डालने का निदेश देने का अनुरोध किया।

ख) **खाद्य स्मार्ट उपभोक्ता पोर्टल**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि यह पोर्टल 'उपभोक्ताओ के लिए पूर्ण गाइड'' के रूप में काम करेगा और इसे एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान आरंभ किया जाएगा। सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अपने सुझाव देने का अनुरोध किया गया।

ग) **खाद्य सुरक्षा फोन नेटवर्क**

समिति ने खाद्य सुरक्षा फोन नेटवर्क (एफएसपीएन) बनाने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई की नई पहल को नोट किया, जिसके तहत सभी खाद्य विनियमात्मक प्राधिकारी देश भर में क्लोज्ड यूजर ग्रुप (सीयूजी) में काम करेंगे।

निर्णीत कार्रवाई

i. राज्य/संघ शासित क्षेत्र पैकेजबंद पेय जल के प्रतिचयन में तेजी लाएँ और वाटर पोर्टल पर विवरण डालें।

ii. राज्य/संघ शासित क्षेत्र हाल में आरंभ किए गए खाद्य स्मार्ट उपभोक्ता पोर्टल के बारे में अपना फीडबैक/सुझाव दस दिनों के अंदर दें।

iii. जिन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने एफएसपीएन के लिए नोडल अधिकारी नामित नहीं किया है, वे उनका नामन एक सप्ताह के अंदर कर दें, जिससे बीएसएनएल के प्राधिकारियों से प्रभावी संपर्क स्थापित किया जा सके।

मद सं0 19.3

1. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की खाद्य प्रयोगशालाओं का सशक्तीकरण

सलाहकार (क्यूए) ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की खाद्य प्रयोगशालाओं के सशक्तीकरण के बारे में जानकारी दी और सूचित किया कि कुछ राज्यों, अर्थात् महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आंध्र प्रदेश के लेखों के विवरण अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्होंने बताया कि बैंक खाते खोलने में कुछ समस्याएँ आ रही हैं। इस बारे में सलाह दी गई कि राज्यों की मौजूदा समितियों के बैंक खातों का उपयोग किया जाए।

निर्णीत कार्रवाई

राजस्थान और त्रिपुरा राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं के उन्नयन संबंधी लंबित प्रस्ताव एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करें, क्योंकि निधि उनके प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद ही जारी की जा सकती है।

2. इंडियन फूड लैबोरेटरी नेटवर्क

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि यह परियोजना उन्नत अवस्था में है और इसे अगस्त, 2017 तक आरंभ कर दिए जाने की संभावना है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त, केरल ने सूचित किया कि उन्होंने राज्य में खाद्य प्रयोगशाला नेटवर्किंग के लिए प्रयोगशाला सूचना मैनुअल प्रणाली (एलआईएमएस) बनाई है। इस कार्य की सराहना की गई और राज्य को इसे क्यूए प्रभाग के साथ साझा करने का निदेश दिया गया।

आगे, असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और दिल्ली राज्यों ने अपनी प्रयोगशालाओं में प्रायोगिक खाद्य प्रयोगशाला नेटवर्किंग प्रणाली को लागू करने की इच्छा जताई।

निर्णीत कार्रवाई

क्यूए प्रभाग राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्रगति रिपोर्ट मंगाने की कार्रवाई करे।

3. चल प्रयोगशाला

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को एक-एक चल प्रयोगशाला उपलब्ध कराई जाएगी और 15 अगस्त 2017 तक 30 प्रयोगशालाएँ आरंभ कर दी जाएँगी। संबंधित निविदा प्रलेख और सभी विवरणें सहित एफ.एस.एस.ए.आई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। खाद्य सुरक्षा आयुक्त, केरल ने सूचित किया कि उनके यहाँ चल प्रयोगशाला पहले ही है और उन्हें केवल प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

निर्णीत कार्रवाई

i. राज्य/संघ शासित क्षेत्र संसाधन व्यक्ति को नामित करें और प्रस्ताव एक सप्ताह के अंदर भेजें।

मद सं0 19.4: प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण

सीएमएसओ, एफ.एस.एस.ए.आई ने सीएसी को एफ.एस.एस.ए.आई की संशोधित प्रशिक्षण नीति की जानकारी दी, जिसमें पुनश्चर्या और परिचय प्रशिक्षण, अभिनामित अधिकारी का प्रशिक्षण, न्याय-निर्णयन अधिकारी का प्रशिक्षण, खाद्य सुरक्षा आयुक्त/संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त/प्राधिकृत अधिकारी का प्रशिक्षण और प्रशिक्षण देने की विधि शामिल है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन (फोस्टैक) और खाद्य परीक्षण स्टाफ प्रशिक्षण (फोटेस्ट) के तहत खाद्य कारोबारियों के प्रशिक्षण की नीति की स्थिति भी बताई।

निर्णीत कार्रवाई

i. राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशिक्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

ii. जिन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने अपने यहाँ अभी तक भी प्रशिक्षण संस्था की पहचान नहीं की है, वे उसकी पहचान करके एक को नामित करने।

iii. राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशिक्षण संस्थाओं की सूची की पुनरीक्षा करें और आवश्यक समझने पर अधिक संस्थाओं का नामन करें।

iv. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राष्ट्रीय संसाधन पूल को समृद्ध करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञ नामित कर सकते हैं।

मद सं0 19.5: सामाजिक और व्यवहारगत परिवर्तन

1. सुरक्षित और पोषक आहार (एसएनएफ) पहल - राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की भूमिका

सीएमएसओ, एफ.एस.एस.ए.आई ने सीएसी को एफ.एस.एस.ए.आई की महत्वपूर्ण पहल, सुरक्षित और पोषक आहार (एसएनएफ) मॉडल, खाद्यजनित बीमारियों की संभावना को कम करने के लिए सर्वसमावेशी दृष्टिकोण और उपभोक्ताओं के हित में खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्यकर पोषण के बारे में बताया। यह मॉडल घर, स्कूल, कार्यस्थल और भोजनालय - इन चार क्षेत्रों को शामिल करके बनाया गया है। इसे नोट किया गया और इसकी सराहना की गई।

निर्णीत कार्रवाई

राज्य/संघ शासित क्षेत्र कई संपर्कन कार्यक्रमों के माध्यम से जन-जागरूकता उत्पन्न करे, खाद्यकर्मियों इत्यादि के लिए कार्यशाला/प्रशिक्षण आयोजित करके अपने यहाँ पहलों का अंगीकरण और क्रियान्वयन करें और उसकी कार्रवाई योजना एफ.एस.एस.ए.आई को सूचित करें।

2. खाद्य पौष्टिकीकरण

प्रमुख, एफ.एफ.आर.सी ने समिति को देश में पौष्टित खाद्य की मांग और पूर्ति में संतुलन लाने के लिए इसकी खुले बाजार में उपलब्धता यथाशीघ्र सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एफ.एस.एस.ए.आई में खाद्य पौष्टिकीकरण संसाधन केंद्र (एफएफआरसी) की स्थापना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि एफएफआरसी खाद्य मानकों और खाद्य सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं, प्रीमिक्स और उपस्कर प्राप्ति, गुणता आश्वासन और गुणता नियंत्रण के बारे में भी जानकारी देगा और प्रशिक्षण एवं क्षमता-निर्माण के माध्यम से क्रियान्वयन में सहायता करेगा। यह बताया गया कि एफएफआरसी टीम के प्रत्येक अधिकारी को एक खाद्य वस्तु अर्थात् दूध, चावल, गेहूँ का आटा, तेल और लवण आबंटित किया गया है। इनमें से प्रत्येक अधिकारी विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से मिलकर कार्य करेंगे और खाद्य पौष्टिकीकरण के क्रियान्वयन और उनके राज्य से संबंधित मुद्दों के हल में हर संभव सहायता करेंगे।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य वस्तुओं का पौष्टिकीकरण मुख्य हितधारकों के सक्रिय सहयोग से करके देश में पोषण सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया।

निर्णीत कार्रवाई

राज्य/संघ शासित क्षेत्र अपने यहाँ इस मद पर कार्रवाई एफएफआरसी, एफ.एस.एस.ए.आई के टीम सदस्यों की सहायता से करें।

मद सं0 19.6: राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुद्दे

समिति ने बैठक में परिचालित उत्तराखंड, केरल, गोआ और ओडिशा राज्यों के कुछ मुद्दों संबंधी मदों और उन पर दिए गए स्पष्टीकरण को नोट किया।

मद सं0 19.7 : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय

समिति ने प्रतिसूक्ष्मजैविक प्रतिरोध संबंधी पूरक मद को नोट किया।

बैठक अध्यक्ष महोदय और सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यावाद सहित समाप्त हुई।

(एस. के. यादव)

निदेशक (विनियमात्क अनुपालन)

(पवन अग्रवाल)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई

अनुबंध - I

दिनांक 16 मई को हाटल ललित, नई दिल्ली आयोजित सीएसी की 19वीं बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

श्री आशीष बहुगुणा, ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई और अध्यक्ष, सीएसी के अनुरोध पर बैठक में भाग लिया।

क. सीएसी के सदस्य

1. श्री पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई - **अध्यक्ष, सीएसी**

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त:

2. डॉ. मृणलिनि दर्सवाल, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, दिल्ली
3. श्री सलीम वेल्जी, निदेशक, एफडीए निदेशालय, गोआ
4. श्री सुबोध यादव, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, कर्नाटक
5. श्रीमती नवजोत खोसा, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, केरल
6. श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, मध्य प्रदेश
7. श्री पी. के. सिंह, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, मणिपुर
8. श्री रविंद्र प्रताप सिंह, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, ओडिशा
9. श्री वरुण रूजम, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पंजाब
10. श्री राजेश्वर तिवारी, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, तेलंगाना
11. श्रीमती गोधूलि मुखर्जी, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पश्चिम बंगाल

विभिन्न क्षेत्रों के सदस्य (प्राइवेट सदस्य):

12. डॉ. दीपा भाजकर, 'डी' टेक्नोलॉजी
13. श्री जॉर्ज चेरियन, निदेशक, सीयूटीएस इंटरनैशनल, जयपुर
14. श्री बी.के. मिश्र, कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन
15. सुश्री निरुपमा शर्मा, उप सचिव, पीएचडी चैंबर्स, विशेष आमंत्रिति
16. श्री डी.वी. मल्हन, कार्यकारी सचिव, आल इंडिया फूड प्रोसर्स एसोशिएशन

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि:

17. श्री बरेण्य दास, संयुक्त सचिव - स्वास्थ्य, असम
18. डॉ. पी. मंजरी, निदेशक, पीएच लैब्स एंड फूड-हैल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, आंध्र प्रदेश
19. डॉ. वी.पी. सिंह, निदेशक-स्वास्थ्य, बिहार

20. श्रीमती लोतिका खजूरिया, नियंत्रक, डीएफसीओ, जम्मू और कश्मीर
21. श्री शैलेंद्र सिंह, आवासीय आयुक्त, त्रिपुरा
22. श्री एल. डी. ठाकुर, अभिनामित अधिकारी, हिमाचल प्रदेश
23. श्री सुखविंदर सिंह, अभिनामित अधिकारी, चंडीगढ़
24. श्री पंकज कुमार, खाद्य विश्लेषक, राजस्थान
25. श्री आर. एस. रावत, अभिनामित अधिकारी, उत्तराखंड
26. श्री नरेंद्र आहूजा, संयुक्त आयुक्त, हरियाणा
27. डॉ. अश्वनी देवांगन, सहायक आयुक्त, छत्तीसगढ़
28. श्री चंद्रशेखर सालुंखे, संयुक्त आयुक्त, महाराष्ट्र
29. श्री एस. एन. संगमा, संयुक्त आयुक्त, मेघालय
30. श्री पवन कामरा, उप खाद्य सुरक्षा आयुक्त, दिल्ली
31. डॉ. जी. एल. उपाध्याय, उप खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पुदुच्चेरी
32. श्री प्रमोद कुमार शुक्ला, संयुक्त नियंत्रक, मध्य प्रदेश
33. डॉ. के. वनजा, निदेशक और अतिरिक्त आयुक्त, तमिल नाडु
34. श्री वी. आर. शाह, उप आयुक्त, गुजरात
35. श्री राम नरेश मौर्य, सहायक आयुक्त (खाद्य), उत्तर प्रदेश
36. डॉ. श्रीनिवासा गौडा, संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त, कर्नाटक
37. श्री अशोक कुमार, पब्लिक एनालिस्ट, पंजाब

ख. मंत्रालयों/विभागों से आमंत्रिति

38. डॉ. हिमांशु चौहान, डीएडीजी (आईएच), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
39. श्री बी.एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक मापविज्ञान, उपभोक्ता मामले मंत्रालय
40. श्री मनोज कुमार सिंह, निदेशक, महिला और बाल विकास मंत्रालय
41. डॉ. जे. एच. पनवाल, संयुक्त तकनीकी सलाहकार, महिला और बाल विकास मंत्रालय
42. श्री एस. आर. सैमुअल, जेडीसी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

43. श्री एच. एस. बिष्ट, निदेशक, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

44. श्री अजय यादव, उप सचिव, वाणिज्य मंत्रालय

45. श्री महाबीर प्रसाद, सलाहकार, पंचायती राज मंत्रालय

ग. एफ.एस.एस.ए.आई के अधिकारी

46. सुश्री माध्वी दास, मुख्य प्रबंधन सेवा अधिकारी

47. श्री कुमार अनिल, सलाहकार (मानक)

48. श्री सुनील बख्शी, सलाहकार (कोडेक्स)

49. डॉ. एन. भास्कर, सलाहकार (क्यूए)

50. श्री एस. के. यादव, निदेशक (विनियमात्मक अनुपालन/आयात)

51. श्री सुनीति टोटेजा, निदेशक (एफएसएमएस)

52. श्री राज सिंह, प्रमुख (पीसी और जीए)

53. डॉ. रूबीना शाहीन, निदेशक (जोखिम आकलन)

54. श्री तन्मय प्रसाद, सीआईटीओ

55. श्री प्रवीण जारगर, संयुक्त निदेशक (विनियमात्मक अनुपालन)

56. डॉ. ए.सी मिश्रा, संयुक्त निदेशक (मानक)

57. श्री राजेश सिंह, निदेशक, पूर्व, कोलकाता

58. श्री डी. पी. गुहा, संयुक्त निदेशक, कोलकाता

59. डॉ. एम. कानन, सीएलए, चेन्नई

60. श्री अनिल मेहता, सीएलए, दिल्ली

61. डॉ. कृष्ण मेठेकर, उप निदेशक, पश्चिमी क्षेत्र

62. सुश्री अनिता मखीजानी, उप निदेशक (तकनीकी)

63. श्री कार्तिकेयन, सहायक निदेशक (विनियम/कोडेक्स)

64. श्री प्रभात कुमार मिश्रा, सहायक निदेशक (विनियमात्क अनुपालन)

65. श्री अखिलेश गुप्ता, सहायक निदेशक (विनियमात्मक अनुपालन)

66. श्री मदन मोहन, सहायक निदेशक (विनियमात्मक अनुपालन)

67. श्रीमती रेम्या, सहायक निदेशक (विनियमात्मक अनुपालन)

68. श्री ए. रस्तोगी, सहायक निदेशक (निगरानी)

69. सुश्री मोनिका पूनिया, सहायक निदेशक (पोषण)

70. सुश्री अरुणा, सहायक निदेशक (क्यूए)

71. श्री रविन्द्र कुमार, सहायक निदेशक (पीसीएंडजीए)

72. सुश्री स्मिता मनकड, प्रमुख, एफएफआरसी

73. सुश्री वर्षा गुप्ता, वैज्ञानिक-IV (क्यूए)

*किसी नाम की वर्तनी में गलती गैर-इरादतन है, जिसके लिए खेद है।

अनुबंध 2

बैठक से उभरे कार्रवाई के मुद्दे:

बैठक में हुई चर्चा के बाद कार्रवाई के निम्नलिखित मुद्दे उभरे:

क. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए कार्रवाई के मुद्दे:

1. तमिल नाडु फलों और सब्जियों पर अपना एसओपी प्रस्तुत करे।
2. मध्य प्रदेश और केरल राज्य प्रायोगिक आधार पर आरबीआईएस लागू करें।
3. तेलंगाना और मध्य प्रदेश भारत के लिए खाद्य सुरक्षा और आपात कार्रवाई योजना के क्रियान्वयन का एसओपी तैयार करें।
4. राज्य/संघ शासित क्षेत्र जिस बैंक से जुड़ना चाहते हैं उसका विवरण दस दिनों के अंदर भेजें।
5. राज्य/संघ शासित क्षेत्र खाद्य सुरक्षा फोन नेटवर्क के लिए नोडल अधिकारी नामित करें।
6. राजस्थान और त्रिपुरा राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लंबित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
7. राज्य/संघ शासित क्षेत्र चल प्रयोगशाला के लिए संसाधन व्यक्ति नामित करें।
8. राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशिक्षण प्रस्ताव दें, इस हेतु संस्थाओं को नामित करें, राज्य स्तरीय संसाधन व्यक्ति को नामित करें, एफएसओ, डीओ और एओ के लिए मैनुअल पर अपना फीडबैक दें, खाद्य करोबारों को प्रेरित करें, ज्ञान के संसाधन जुटाने के लिए केस स्टडी करें।

ख. एफ.एस.एस.ए.आई के लिए कार्रवाई के मुद्दे

1. सीआईटीओ, एफ.एस.एस.ए.आई एफएलआरएस के पेमेंट गेटवे के बारे में व्याख्यात्मक टिप्पणी भेजें।
2. क्यूए प्रभाग राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से भारतीय खाद्य प्रयोगशाला नेटवर्क को प्रायोगिक आधार पर आरंभ करने की प्रगति रिपोर्ट मंगाने के मामले पर कार्रवाई कराएँ।
3. अधिनियम के प्रवर्तन और प्रशासन के लिए सर्वे करने के लिए विनियम बनाने हेतु समिति का गठन किया जाए।
4. आरसीडी के तकनीकी अधिकारियों के संपर्क विवरण राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को उपलब्ध कराए जाएँ।